न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार(आरएएस)उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 90/2013(राजस्व वाद)

दायर दिनांक – 7.3.2013

फैसल दिनांक – 17.1.2018

1– प्रकाश पिता हुकाजी नाई निवासी वणियाप
2– भरतकुमार पिता हुकाजी नाई निवासी वणियाप
3– राजेश पिता हुकाजी नाई निवासी वणियाप
4– श्रीमती भूरी बेवा हुकाजी नाई निवासी वणियाप तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

1– अमरजी पिता कुबेरजी नाई निवासी वणियाप
2– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण – श्री चन्द्रशेखर शुक्ला
वकील प्रतिवादी– श्री मयंक दोसी

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने व बंटवारा करने बाबत
अन्तर्गत धारा 53,88,188 रा0टि0एक्ट

निर्णय

वाद वादीगण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के होकर एक ही गांव के निवासी है उनकी संयुक्त सहखातेदारी काष्तकारी की जमीन मौजा वणियाप पटवार हल्का सिलोही में दर्ज है जिसका विवरण वाद पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित है । उक्त समस्त आराजीयात में से वादीगण की बहनो श्रीमती कचरी एवं श्रीमती गीता ने दिनांक 12.10.2011 को हकत्याग कर अपना हित वादीगण के पक्ष में समर्पित किया है । वादीगण को रूपयों की आवश्यकता होने से उन्होंने उक्त जमीन में से खसरा नंबर 894 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा में से अपना हक 1/2 हिस्से का विक्रय कर दिया था इस कारण कलम संख्या 2 में इस खसरे का अंकन नहीं किया गया है । शेष आराजीयात जो वाद की कलम संख्या 2 मे वर्णित है का बंटवारा कराना चाहते हैं। वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी संख्या 1को बंटवारा हेतु कहा लेकिन वह नहीं मानता है एंव वादीगण के स्वामित्व की 1/2 हिस्से की जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता है । वादीगण अपने हिस्से की जमीन को ओर अधिक उपजाउ ओर काबिल काश्त बनाने बेंक से लोन लेना चाहते हैं

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

लेकिन बंटवारा नहीं होने से परेशानी होती है । अतः वादीगण द्वारा वाद की कलम संख्या 2 में वर्णित समस्त आराजीयात का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी नंबर 1 के बीच बराबर बराबर 1/2 ,1/2 हिस्से में किया जाकर प्रथक खाता कायम किए जाने तथा वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने , प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के आधे हिस्से की जमीन पर अतिक्रमण नहीं करने ,वादीगण को खेती करने, काश्त करने ,बीज बोने फसल काटने एवं फसल लाने ले जाने से व्यवधान पैदा नहीं करने स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया है ।

वादीगण द्वारा वाद पत्र के साथ वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम वणियाप की जमाबन्दी संव0त 2065 की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया ।

प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । जवाब में उक्त खाते में 11 खेत नहीं होकर 10 खेत रकबा 3बीघा 15 बिस्वा होना ,खसरा संख्या 746 की भूमि नहीं है क्योंकि उक्त आराजी कुआ है ,खसरा संख्या 894 में वादीगण नले अपने आधे हिस्से की भूमि का विक्रय कर दिया है शेष आधा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है ,कुआ सभी का शामलाती है । वर्तमान में इस खाते में 10 खेत होकर रकबा 3बीघा 15 बिस्वा । वादीगण उक्त भूमि का बंटवारा पुनः नही करा सकते हैं सिर्फ राजस्व रेकार्ड में पूर्व में हुए बंटवारे के अनुसार अपना खाता अलग दर्ज कराने के अधिकारी है क्योंकि वादीगण के पिता एंव वादीया संख्या 4 के पति एंव प्रतिवादी संख्या 1 के बीच में 25–30 वर्ष पूर्व ही मौखिक बंटवारा हो चुका है उसी मुताबीक वे अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है।वादीगण पूर्व में हुए मौखिक बंटवारे के अनुसार अपनी भूमि का खाता अलग कराते हैं तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है ,स्व0हुकाजी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच जो बंटवारा हुआ उसका उल्लेख करते हुए तभी से वे अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर काश्त करना बताया है ।

प्रतिवादी का जवाब प्रस्तुत होने पर निम्नांकित वाद बिन्दु कायम किए गए—

तनकी संख्या 1 :– आया मोजा वणियाप के खाता संख्या 149/104 रकबा 3बीघा 17 बिस्वा के वादीगण सहखातेदार कृषक हैं अतः बंटवारा कराने के अधिकारी है?
(वादी)

तनकी संख्या 2 :– आया खसरा नम्बर 746 की भूमि नहीं होकर कुआ है एंव खसरा नंबर 894 में वादीगण द्वारा विक्रय कर देने से बंटवारा नही किया जा सकता है?
(प्रतिवादीगण)

तनकी संख्या 3 :– आया वादी संख्या 1 से 3 के पिता वादी संख्या 4 के पति एंव प्रतिवादी संख्या 1 के बीच वादग्रस्त भूमि का करीब 25–30 वर्ष पूर्व मौखिक बंटवारा हो चुका है ।वादी प्रतिवादी उस अनुसार काबिज है अतः बंटवारा उस

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

अनुसार करवाने के अधिकारी हैं। (प्रतिवादी)

तनकी संख्या 4:— दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर वकील वादी की साक्ष्य प्रारम्भ की गई । गवाह भरतकुमार ,सोमा एवं वेला के बयान कलम बद्ध करा साक्ष्य वादी समाप्त की गई।

वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य में अमरजी के बयान करा साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस समायत की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है :—

तनकी संख्या 1 :— आया मोजा वणियाप के खाता संख्या 149/104 रकबा 3बीघा 17 बिस्वा के वादीगण सहखातेदार कृषक हैं अतः बंटवारा कराने के अधिकारी है?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2065 खाता संख्या 149 मोजा सिलोही एक्जी0 1 के कॉलम संख्या 4 में खातेदार के स्थान पर " प्रकाश भरतकुमार राजेश कचरी गीता पिता हुका भूरी बेवा हुका वेद 1/2 हिब अमरजी पिता कुबेर वेद 1/2 सा.देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। वकील प्रतिवादी द्वारा इसी खाते के नये खाता संख्या 150 की जमाबन्दी संवत 2069 की पेश की है जो प्रदर्श 3 ए है । वकील वादी ने अपनी बहस में उक्त दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श—1 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर बताया है कि वादीगण प्रकाश भरतकुमार राजेश एवं भूरी उक्त खाते के खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं तथा उक्त दर्ज खातेदार में से कचरी एंव गीता पिता हुका द्वारा वादी के पक्ष में अपना हिस्सा त्याग कर दिया गया है । सहखातेदार कचरी एवं गीता द्वारा अपना हिस्सा त्याग कर देने से खाता संख्या 150 प्रदर्श 3 ए में उनका नाम खातेदार के स्थान पर दर्ज नही है । वाद के साथ प्रस्तुत प्रदर्श—1 जमाबन्दी संवत 2065 खाता संख्या 149 /104 में आराजी संख्या 746 रकबा दो बिस्वा कुआ दर्ज है एवं आराजी संख्या 894 रकबा 2.01बिघा में से 1/2 हिस्सा वादीगण द्वारा बेचान कर देना स्वीकार किया है । प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श— 1ए जो कि पटवार हल्का द्वारा खाता संख्या 150 का मौके पर कब्जे के अनुसार आराजी की स्थिति की रिपोर्ट है जिसमें पक्षकारान की आराजीवाईज काबिज की स्थिति अंकित की है। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में खाता संख्या 149 अंकित किया है जिसमें आराजी संख्या 746 कुआ एवं वादी के द्वारा बेचान कर दिए गए खसरा नम्बर 894 का भी अंकन है लेकिन प्रदर्श 3 ए में आराजी संख्या 746 एवं 894 का अंकन नहीं है । गवाह वादी संख्या 2 पीडब्लू 1 ने भी अपने बयान की जिरह में 45—50 साल से खेती अलग अलग करना बताते हुए खसरों के नम्बर भी उल्लेखित किए है । गवाह अमरजी डीडब्लू 1 ने भी अपने बयान में रेकार्ड में खाता शामलाती होना बताते हुए खाता अलग किया जाना बताया

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

अपने अपने हिस्से पर काबिज हो अलग अलग खेती कर रहे हैं,जिससे प्रतिवादी काबिज अनुसार बंटवारा कराने के अधिकारी होने से यह तनकी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 4:— दादरसी ?

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में आंशिक रूप से निर्णित होने एवं तनकी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित होने से खाता संख्या 149 जमाबन्दी संवत 2065 के आराजी नम्बर 746 कुआ एवं आराजी नम्बर 894 का वादी द्वारा अपना हिस्सा बेचान कर देने से आराजी नम्बर 746 कुआ शामलाती खाते में रखने तथा आराजी नम्बर 894 का वादी द्वारा विक्रय पश्चात शेष हिस्सा प्रतिवादी के खाते रखा जाकर शेष आराजीयात का पक्षकारान में रिपोर्ट पटवारी प्रदर्श 1 ए अनुसार बंटवारा किया जाना उचित है ।

दिनांक 3.7.2017 को वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा वणियाप पटवार हल्का सिलोही के खाता संख्या 149 जमाबन्दी संवत 2065 का वर्तमान में काबिज अनुसार बंटवारा किया जाने, इस खाते के आराजी संख्या 746 कुआ शामलाती ही रखने तथा आराजी संख्या 894 में वादी द्वारा अपना हिस्सा बेचान कर देने के उपरान्त शेष हिस्सा प्रतिवादी का ही रखा जाने प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर बंटवारा हेतु तहसीलदार गलियाकोट को आदेश दिया गया कि उपरोक्तानुसार रिपोर्ट पटवारी अनुसार वर्तमान में काबिज अनुसार पक्षकारान में बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शे के तीन प्रति में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार गलियाकोट द्वारा जरिये पत्र संख्या राजस्व/78 दिनांक 11.1.2018 से बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रैस के निम्नानुसार प्रस्तुत की गई :—

क0सं0	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	प्रकाश,भरतकुमार,राजेश पिता हुका भूरी बेवा हुका वेद सादेह खातेदार	381	0.03	सु. III	0.15
		741	0.09	सी.	1.24
		901	0.03	बीड—0.02 सी.0.01	0.02 0.10
		1486	0.11	सु. III	0.55
		2081	0.04	सु. II	0.30
		2082	0.04	सु. II	0.30
		2085	0.02	सु II	0.14
		2086	0.04	सु II	0.30
	अमरजी पिता कुबेर वेद सा.देह खातेदार	381/1	0.04	सु. III	0.20
		745	0.09	सी.	1.24
		1485	0.11	सु. III	0.55
		4082/1	0.04	सु. II	0.30
		2085/1	0.03	सु. II	0.24

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

		2086/1	0.04	सु. 11	0.30

बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर वकील पक्षकारान की बंटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई । वकील पक्षकारान प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट से सहमत हो तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत है ।

अतः अन्तिम डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि संलग्न बंटवारा रिपोर्ट (परिशिष्ठ–अ)अनुसार पक्षकारान के मध्य भूमि का अमल दरामद कर खाता प्रथक प्रथक दर्ज करें । वादीगण को उक्त बंटवारा अनुसार आधे हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के आधे हिस्से की जमीन पर अतिक्रमण न करें एवं खेती करने ,काश्त करने बीज बोने फसल काटने एवं फसल लाने ले जाने एवं उसके उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं करें एवं न ही अपने किसी मित्र एजेण्ट रिश्तेदार मजदूर अथवा अन्य किसी के मार्फत करावें । बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ – अ निर्णय एवं डिक्री का अंग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 17.1.2018 को सरे ईजलास सुनाया गया । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner